

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा, जिला-चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या- 10/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक:-14.06.2021

पृथ्वीराज पुत्र गोकलजी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा चित्तौडगढ राज0 । - प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल पिता मांगीलालजी जाति धोबी आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा चित्तौडगढ राज0 ।
2. सुन्दरबाई पत्नी मेघराज जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा चित्तौडगढ राज0 ।
3. भेरुलाल पिता बद्रीलाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा चित्तौडगढ राज0 ।
4. घनश्याम पिता बद्रीलाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा चित्तौडगढ राज0 ।
5. रामेश्वलाल पिता नारायणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा चित्तौडगढ राज0 ।
6. लालचन्द्र पिता पृथ्वीराज जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा चित्तौडगढ राज0 ।
7. दशरथ पिता पृथ्वीराज जाति जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा चित्तौडगढ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा रठाजना प0ह0 केली तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 163 की आराजी नं0 1318 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्यूबैल, आराजी नं0 1319 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्यूबैल, आराजी नं0 1320 रकबा 1.7100 हैक्टेयर, आराजी नं0 1327 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.8100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 800/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा रठाजना प0ह0 केली तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 163 की आराजी नं0 1318 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्यूबैल, आराजी नं0 1319 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ट्यूबैल, आराजी नं0 1320 रकबा 1.7100 हैक्टेयर, आराजी नं0 1327 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.8100 हैक्टेयर भूमि कि किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

